COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

ef20/-

आयुक्त कार्यालय सागर से दि० 23-9-14 को प्राप्त 23-9-14

B.O.R.

25 SEP 2014

122
26-9-14

न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर कैम्प, सागर (म०प्र०)

R-3417-III/14

१- विजय कुमार गुप्ता आयु ५० वर्ष (दोनो आत्मज
२- हरि नारायण गुप्ता आयु वर्ष (
स्व०श्री मुन्नालाल गुप्ता, दोनो निवासी
सदर बाजार, सागर तह०जिला सागर -- आवेदकगण। रिवीजनकर्ता गण

।। बनाम ।।

हरिओम केशरवानी वल्द जुगलकिशोर केशरवानी
निवासी सदर बाजार, सागर (म०प्र०) -- अनावेदक । प्रति-पुनरीक्षण कर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं०

न्यायालय तहसीलदार, सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २२-अ। ७० वर्ष १२-१३ नाम पक्षकार हरिओम केशरवानी वि० विजय कुमार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक २०।८।०१४ से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है -

संक्षिप्त तथ्य एवं आधार

१- यहकि, ~~~~~ हरिओम केशरवानी ने तहसीलदार के समक्ष ग्राम बहेरिया साहनी के ख०न० 17/2.527 रकबा 0.655/.76 हे० पर विजय कुमार वगैरह से कब्जा दिलाये जाने बाबत् आवेदन पेश किया था जिसका v/s 919 नोटिस प्राप्त होने पर विजय कुमार व अन्य की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश हुए ।

२- यहकि, वास्तविक मालिक काबिज वादग्रस्त भूमि का विजय कुमार एवं अन्य उसके परिवार के सदस्य है किन्तु दवंगो व राज कुमार व श्रीकांत केशरवानी ने फर्जी रुप से फर्जी आदमी खड़ा करके एवं मृत व्यक्ति की जगह दुसरे व्यक्ति को खड़ा करके राजस्व अभिलेख के अनुसार बैनामा करा लिये थे किन्तु मौके पर

-२

26-9-14
1-10-14

(53)

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3417/III/15 .... जिला सागर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-15	प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक को तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद पुकार आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण तहसीलदार सागर के रा०प्र०क० 22/अ-70/12-13 में पारित आदेश दिनांक 20-8-14 के विरुद्ध प्रस्तुत होना पाया गया। प्रकरण पत्रिका के संलग्न तहसीलदार द्वारा जारी आदेश दिनांक 20-8-14 एवं निगरानी मेमो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि तह० द्वारा आवेदक (जो अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक) को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी आवेदक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया। इस कारण तह० द्वारा आवेदक की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर प्रकरण तर्क हेतु दिनांक 17-9-14 को नियत किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 20-8-14 से किसी भी पक्ष के हितों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है उभय पक्षों को तर्क के समय तह० के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्राप्त है। उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार सागर के आदेश दिनांक 20-8-2014 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण का संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में गुणदोष आदेश पारित करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) 26/8/15

(हस्ताक्षर) 31/8/15

[कृ. प. उ.